बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक 5781 /पटना, दिनांक 7.12.11
कृ/नि.-धान (अधि.)-31/11

प्रेषक,

एस.के.नेगी,
सरकार के प्रधान सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी
सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार का यह स्पष्ट उद्देश्य है कि इस वर्ष 2011–12 में धान अधिप्राप्ति का कार्य सभी किसानों से पैक्सों के माध्यम से की जाये। तथा किसी भी स्थिति में व्यापारियों एवं बिचौलियों से इस कार्य को प्रभावित नहीं होने दिया जाय। इस उद्देश्य के लिए राज्य के कृषकों को सर्वोच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत उनके उत्पादन का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना है। तथा यह कार्य पूर्णतः पैक्सों/राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों द्वारा की जानी है।

अतः इस विषय पर इस कार्यालय के निर्गत पत्रांक 5545 दिनांक 18.11.2011 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना के तत्सम्बन्धी निर्गत पत्रांक 3624 दिनांक 07.12.11 (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में पूर्ण रूप से संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था करने सम्बन्धी आवश्यक कार्रवाई करना अपेक्षित होगा :–

1 धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य का मूल्य एवं अवधि – खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य धान (साधारण) 1080/– रूपये एवं धान (ग्रेड–ए) 1110/– रूपये प्रति क्विंटल पर की जानी है। वर्तमान खरीफ अधिप्राप्ति मौसम में कस्टम मिलिंग चावल की दर भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 182 दिनांक 11.11.2011 के द्वारा CMR चावल की दर प्रति क्विंटल निम्न रूप से निर्धारित की गई है :–

क्र.सं.	चावल का प्रकार	साधारण	ग्रेड–'A'
1.	2	3	4
1.	अरवा (Raw)	1903.13 रु.	1951.49 रु.
2.	उसना (Par boiled)	1875.63 रु.	1922.64 रु.

खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति अवधि दिनांक 15.11.2011 से 30.04.2012 तक तथा कस्टम मिल चावल की अधिप्राप्ति दिनांक 15.11.2011 से 15.10.2012 तक के लिए प्रभावी रहेगा।

2. <u>क्रय की जाने वाली धान का मानक</u> :– राज्य के पैक्स स्तर पर स्थापित क्रय केन्द्रों पर धान के निम्नलिखित मानक विशिष्टताओं के अनुरूप पैक्सों के क्रय केन्द्रों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्य सुनिश्चित की जानी है –

i. बाहय पदार्थ	
(क) अकार्बनिक	– 1%
(ख) कार्बनिक	– 1%
ii. क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित घुने हुए अनाज	– 4%
iii. अपरिपक्व, सिकुड़े एवं संकुचित अनाज	– 3%
iv. निम्न वर्ग का सम्मिश्रण	– 7%
v. नमी (MOISTURE)	– 17%

नोट :– क्र.सं. (i) की मानक विशिष्टता में अधिकतम 0•5% सीमा तक जिसमें धतूरा एवं अकड़ा बीज (Akra Seeds) की अधिकतम सीमा क्रमशः 0•25% तथा 0•2% तक मानक विशिष्टता होंगे।

पैक्स के क्रय–केन्द्रों पर उपर्युक्त मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सभी क्रय–केन्द्र, क्रय कार्य सुनिश्चित करेंगे।

3. <u>लक्ष्य का निर्धारण</u>– राज्य स्तरीय धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख एम.टी. सुनिश्चित की गई है, जो निम्न प्रकार है –

1. पैक्सों द्वारा	18.00 लाख M.T
2. बिहार राज्य खाद्य निगम	07.00 लाख M.T
3. भारतीय खाद्य निगम	05.00 लाख M.T
कुल	30.00 लाख M.T.

राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के कुल 8463 पैक्स उक्त अधिप्राप्ति कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। तत्काल जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 4844 पैक्सों द्वारा इस वर्ष अधिप्राप्ति कार्य करने हेतु सहमति प्रदान की है। (सूची संलग्न) सहकारिता विभागीय लक्ष्य को जिला के पैक्सों के बीच जिला टास्क फोर्स कमिटि द्वारा बांटकर इनकी उपलब्धि सुनिश्चित की जानी है। अतः जिला स्तर पर पैक्सों के लिए लक्ष्य निर्धारण के समय उत्पादन बाहुल्य एवं क्षमता के अनुरूप में पैक्सों को श्रेणीबद्ध कर उनका लक्ष्य का निर्धारण कर दी जाए।

इस संबंध में विकास आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 0624 दिनांक 07.12.2011 के आलोक में कृपया यह ध्यान रखा जाय कि जिला एवं पैक्सों का निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम है तथा किसी भी जिले अथवा पैक्सों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक मात्रा की अधिप्राप्ति की जा सकती है।

4. <u>धान उत्पादक कृषक पंजी का संधारण</u> – वर्तमान वर्ष में पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति का कार्य केवल पैक्स के सदस्यों द्वारा ही की जानी है। इसलिए यह आवश्यक है कि पैक्स स्तर पर धान उत्पादन करने वाले किसानों की सूची श्रेणीवार तैयार कर ली जाय। यदि कोई कृषक अबतक पैक्स के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें तत्काल सदस्य बना लिया जाय। कृषक पंजी के संधारण में छोटे और मझौले

कृषकों को श्रेणीबद्ध कर उनकी भी सूची अवश्य रूप से बना ली जाय ताकि उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति से वे वंचित नहीं रह जायें।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 5641 दिनांक 08.12.2011 के दिशा निर्देश के आलोक में पैक्स द्वारा किसानों से धान क्रय के क्रम में निम्नलिखित कागजात आवश्यक होगा :–

(1) अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद/किसान क्रेडिट कार्ड। (इसमें से कोई एक)

(2) किसानों का फोटोयुक्त पहचान–पत्र/मतदाता पहचान–पत्र/पासबुक की फोटो प्रति/किसान क्रेडिट कार्ड की फोटो प्रति/ड्राईविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज। (इसमें से कोई एक)

पैक्स स्तर पर इसका दाखिला सुनिश्चित करते हुए संधारित कृषक पंजी में धान उत्पादक कृषकों का नाम/पता/धारित रकबा/उत्पादित लक्ष्य की मात्रा एवं बिक्री योग्य अनुमानित मात्रा सहित सम्बन्धित कृषक का बैंक लेखा विवरणी भी अवश्य रूप से संधारित रहनी चाहिए। इस सूची द्वारा आपूरित धान की मात्रा अधिप्राप्ति मूल्य और भुगतान के चेक की संख्या अंकित करने के लिए कॉलम रहेंगे।

चूंकि सदस्यों को केवल एकाउन्ट पेई चेक द्वारा भुगतान का निर्देश है इसलिए कृषकों का बैंक खाता अवश्य संधारित रहनी चाहिए। इस सम्बन्ध में दिनांक 03.12.2011 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैठक में लिए गये निर्णय जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक 5955 दिनांक 08.12.2011 द्वारा निर्गत है, के अनुरूप पैक्स स्तर पर पंजियों का संधारण किया जाना है।

5. <u>पैक्स स्तरीय धान क्रय–केन्द्रों का संचालन एवं भूमिका</u> – इस संबंध में राज्य के सभी पैक्सों द्वारा धान क्रय की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी है। तथा क्रय किये गए धान की मात्रा को प्रखंड स्तरीय राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाना है।

वैसे कृषक, जो किसी कारणवश संबंधित पैक्सों को अपना धान उपलब्ध नहीं करवा पायेंगे, उन्हें राज्य खाद्य निगम के किसी भी क्रय केन्द्र पर अपना धान देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

पैक्सों द्वारा प्रखंडस्तरीय राज्य खाद्य निगम के क्रय केंद्रों के अतिरिक्त जिला स्तर पर राज्य खाद्य निगम द्वारा राईस मिलों के साथ सम्बद्ध कर दिए जाने पर/या उनके बेस डिपो पर भी क्रय किये गये धान की मात्रा को उपलब्ध कराया जा सकता है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी स्तर से तत्सम्बन्धी व्यवस्था निदेश निर्गत किया जाय ताकि पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति की गई का तत्काल राज्य खाद्य निगम को उपलब्धतता हो जाये।

जिला स्तरीय प्राप्त सूचना के आलोक में अब तक कुल 4844 पैक्सों द्वारा धान क्रय–केन्द्र के रूप में कार्य संचालन किया जाना है। तथा शेष 3619 पैक्सों के कार्यक्षेत्र से संबंधित पंचायतों में राज्य खाद्य निगम अपना क्रय–केन्द्र स्थापित कर धान क्रय सुनिश्चित करेगा।

जिला स्तर पर पैक्सों एवं राज्य खाद्य निगम के क्रय केंद्रों की उपरोक्त संख्या एवं अनुपात परिवर्त्तनीय है। जिला पदाधिकारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके जिले में पैक्सों एवं राज्य खाद्य निगम के संचालित क्रय केंद्रों द्वारा संपूर्ण जिले का आच्छादन अवश्य सुनिश्चित हो जाये।

सहकारिता विभागीय सभी पैक्सों के क्रय केन्द्रों पर एक बड़े एवं सामान्य आकार का बैनर जिस पर धान क्रय की मानक विशिष्टता एवं उस पैक्स का नाम प्रदर्शित करेंगे। क्रय–केन्द्र पर माप–तौल यंत्र एवं बाट की प्रमाणक व्यवस्था की उपलब्धता आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी है। साथ ही क्रय–केन्द्रों पर नमी–मापक यंत्र की भी व्यवस्था राज्य खाद्य निगम/भारतीय खाद्य निगम से समन्वय कर पैक्सों को स्वयं के व्यय पर उसकी स्थापना सुनिश्चित करना है।

इस सम्बन्ध में यह आवश्यक होगा कि जिले के सभी पैक्सों द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों को प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से संध्या 05.30 बजे तक खुले रहें तथा क्रय केन्द्रों पर सम्बंधित कर्मियों का उपस्थित रहना एवं हैंडलिंग तथा उठाव हेतु ट्रांसपोर्ट आदि की वांछित व्यवस्था भी सुनिश्चित करा लिया जाना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन हेतु सहकारिता विभाग एवं बिस्कोमान के सभी स्तर के पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु अपने स्तर से जिला पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति कर क्रय केन्द्र का नियमित संचालन सुनिश्चित करायेंगे।

6. <u>गनी बैग की उपलब्धता</u>– जिला स्तर पर आवश्यक मात्रा में गनी बैग का आकलन कराकर इस प्रयोजन हेतु जिला टास्क फोर्स द्वारा अधिकृत एजेन्सी का चयन करा लिया जाये। जिला सहकारिता पदाधिकारी जिला स्तर पर आवश्यक गनी बैग का इन्डेन्ट बनाकर इसे अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से पैक्सों द्वारा क्रय कराना सुनिश्चित करेंगे ।

इस प्रयोजन हेतु भारतीय खाद्य निगम/जिला सहकारी बैंक/पैक्सों के समूह द्वारा अधिकृत कोई पैक्स/जिला टास्क फोर्स द्वारा अधिकृत अन्य एजेन्सी द्वारा यह कार्य सम्पन्न कराने के लिए जिम्मेदारी दी जाय ।

गनी बैग के क्रय एवं आपूर्ति में भारतीय खाद्य निगम के मानकों/विशिष्टता का अनुपालन सुनिश्चित करायी जाय ।

गनी बैग की उपलब्धता के सम्बन्ध में विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आदेश पत्रांक 9824 दिनांक 07.12.2011 के आलोक में राज्य खाद्य निगम के द्वारा भी उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

7. <u>गोदाम प्रबन्धन की व्यवस्था</u>– पैक्स स्तर पर संचालित क्रय केन्द्रों के लिए अनुमानतः 100–200 मे.टन क्षमता के गोदामों का अस्थायी भण्डारण (कुछ दिनों के लिए) उद्देश्य अन्तर्गत किया जाना है। इसके लिए राज्य में पैक्स स्तर पर कुल 2151 पैक्सों के पास औसत 100–200 मे.टन क्षमता के गोदाम उपलब्ध है (जिलावार सूची संलग्न)। अतः इनका उपयोग क्रय केन्द्र की स्थापना सहित आवश्यक भंडारण क्षमता की प्राथमिकता अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

साथ ही प्रखंड/पंचायत स्तर पर पूर्व से निर्मित व्यापार मंडल सहयोग समिति लि. के गोदामों का भी उपयोग इस प्रयोजन हेतु किया जा सकता है।

अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रखंड/पैक्स स्तर पर गोदाम प्रबन्धन की व्यवस्था का पूर्ण तत्परता एवं गंभीरता से एक कार्य योजना तैयार की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि गोदाम प्रबन्धन का सीधा प्रभाव अधिप्राप्ति कार्य की उपलब्धि एवं गुणवत्ता पर पड़ता है। इसके लिए प्रखंड/पैक्स स्तर पर उपलब्ध सभी एजेन्सियों से समन्वय कर उपलब्ध गोदाम क्षमता के सटीक एवं सक्रिय उपयोग हेतु एक व्यावहारिक कार्य योजना अवश्य तैयार कर ली जाय ।

प्रखंड/पैक्स स्तर पर उपलब्ध पूर्ण अथवा आंशिक मरम्मति वाले गोदामों का आकलन कर सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी के द्वारा मरम्मति कराकर इसका उपयोग सुनिश्चित करा लिया जाय ।

प्रखंड/पैक्स स्तर पर निजी क्षेत्र के उपलब्ध गोदामों की उपयोगिता का आकलन कर इसका उपयोग सुनिश्चित की जाय।

पैक्स/प्रखंड स्तर पर विस्कोमान के उपलब्ध गोदामों का आकलन कर इसे प्राथमिकता के तौर पर उपयोग सुनिश्चित की जाए। विस्कोमान में आंशिक मरम्मति वाले गोदामों को भी चिन्हित कर तत्काल इसकी मरम्मति कराते हुए पैक्स स्तर पर धान के भंडारण हेतु उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

8. <u>राज्य खाद्य निगम के क्रय–केन्द्रो की भूमिका</u> :- अधिप्राप्ति कार्य के लक्ष्य प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य खाद्य निगम को प्रखंडस्तरीय धान क्रय केन्द्र (पैक्सों के लिए) संचालित की जानी है। सभी पैक्स अपने दैनिक अधिप्राप्ति मात्रा का धान नियमित रूप से इन क्रय केन्द्रों को उपलब्ध करायेंगे।

साथ ही राज्य खाद्य निगम वैसे क्षेत्र जहाँ पैक्स अपना केन्द्र नहीं खोल सकेगा, उन क्षेत्रों में भी पैक्स (पंचायतस्तरीय) स्तर पर अपना क्रय केन्द्र संचालित करेंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण है कि राज्य खाद्य निगम के प्रखंड एवं पैक्सस्तरीय क्रय केन्द्रों की सक्रियता पर लक्ष्य की उपलब्धि निर्भर करेगी।

अतः यह आवश्यक होगा कि –

(क) राज्य खाद्य निगम के सभी प्रखंडस्तरीय क्रय केन्द्रो के पास आवश्यक क्षमता का गोदाम उपलब्ध रहे ताकि पैक्सों द्वारा दैनिक अधिप्राप्ति मात्रा के धान को नियमित रूप से उनके द्वारा की जा सके।

(ख) जिला अन्तर्गत पैक्सों के निर्धारित लक्ष्य के साथ राज्य खाद्य निगम के प्रखंडस्तरीय क्रय केन्द्रो से सम्बद्ध कर उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी जाये।

(ग) जिला स्तर पर पैक्सों एवं राज्य खाद्य निगम के पैक्स (पंचायत) स्तरीय क्रय केन्द्रो का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाये।

(घ) इन क्रय केंद्रो पर दैनिक अपेक्षित मात्रा एवं प्रखंडस्तरीय राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों द्वारा ली जाने वाली मात्रा का कार्यक्रम बनाकर दैनिक उपलब्धि की समीक्षा सुनिश्चित की जाये ताकि न्यूनतम लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई नहीं हो।

(ङ) इस संबंध में विकास आयुक्त के पत्रांक 9624 दिनांक 07.12.11 के आलोक में सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/राज्य खाद्य निगम सहित सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी/कर्मियों की जिम्मेदारी देते हुए उक्त परिपत्रादेश द्वारा निर्देशित सभी विषयक बिन्दु का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर लिया जाये।

9. <u>अधिप्राप्ति कार्य अन्तर्गत आकस्मिक व्यय भुगतान का निर्धारण</u> – पैक्स स्तर पर कृषकों का धान क्रय कर इसे CMR व्यवस्था अन्तर्गत मिलिंग कराने हेतु राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाना है इसमें पैक्सों द्वारा केवल धान अधिप्राप्ति कार्य ही सम्पन्न की जानी है। भारतीय खाद्य निगम के पत्रांक 192/29 दिनांक 11.11.2011 के द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए सभी आकस्मिक व्यय का निर्धारण किया गया है। इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठकों में लिए गए निर्णय तथा प्रशासी विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण की सहमति के आलोक में पैक्स स्तर पर निम्नलिखित आकस्मिक व्यय पैक्सों को अनुमान्य होगा –

क्रमांक	आकस्मिक व्यय का विवरण	भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित दर	अनुमान्य दर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	मंडी लेबर चार्ज/हैण्डलिंग	6.71	6.71	उक्त मानक दर प्रति क्विंटल देय पर निर्धारित है।
2	परिवहन व्यय (कृषकों से क्रय कर पैक्स के भंडारण स्थल तक)	12.14	12.14	
3	समिति कमीशन @ 2.5% of M.S.P	27.00	27.00	
4	गनी बैग का ह्रास मूल्य	32.32	32.32	
कुल		78.17	78.17	

उपरोक्त मानक आकस्मिक व्यय का भुगतान प्रति क्विंटल की दर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा पैक्सों को भुगतान करते समय अतिरिक्त राशि में जोड़कर इसका स्पष्ट विवरण दर्शाते हुए पैक्सों को भुगतान किया जाना है।

10. <u>किसान को भुगतान की व्यवस्था</u>:- न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभावकारी लाभ के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि धान अधिप्राप्ति के तत्काल पश्चात् पैक्सों द्वारा कृषकों भुगतान प्रदान कर दी जाय। इसके लिए जिला स्तर पर उपलब्ध कार्यशील पूंजी का आकलन एवं उसके सक्रिय उपयोग हेतु एक सटीक कार्य योजना बना लेना अत्यंत वांछनीय होगा। इस प्रयोजनार्थ पैक्सों को उपलब्ध वैद्यनाथन समिति पुनरुद्धार सहायता राशि का आकलन कर पैक्सों से प्रथम चरण में निश्चित रूप से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाय। साथ ही पैक्सों को उनके द्वारा की जा रही अन्य व्यवसाय की राशि/पूर्व से उपलब्ध कार्यशील पूंजी/विगत वर्षों में प्राप्त अधिप्राप्ति कार्यों का कमीशन राशि/ आई.सी.डी.पी. परियोजना अंतर्गत उपलब्ध कार्यशील पूंजी/ एवं अन्य उपलब्ध संसाधन को समेकित कर पैक्स स्तर पर कार्यशील पूंजी के रूप में इसका उपयोग सुनिश्चित की जाय।

पैक्सों को प्रदत्त लक्ष्य के अनुपात में उनकी उपलब्ध कार्यशील पूंजी की राशि एवं आवश्यक राशि का आकलन कर शेष अंतर कार्यशील पूंजी की राशि हेतु जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कैश क्रेडिट ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय।

विकास आयुक्त के पत्रांक 6624 दिनांक 07.12.11 के आलोक में राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों के भुगतान व्यवस्था हेतु जिला सहकारी बैंक में खाता खोलकर पर्याप्त राशि की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करनी है।

राज्य खाद्य निगम के प्रखण्डस्तरीय क्रय केन्द्रों से पैक्सों को भुगतान हेतु प्राप्त एकाउंट पेयी चेक को जिला सहकारी बैंक के स्थानीय शाखा में जमा के उपरान्त जिला सहकारी बैंक द्वारा राज्य खाद्य निगम के बैंक खाता से तत्काल संबंधित राशि का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाना है।

जिला सहकारी बैंक के संबंधित शाखा इस व्यवस्था पर पूर्ण गंभीरता से ध्यान रखेंगे कि पैक्सों को उपलब्ध करायी गई कैश क्रेडिट ऋण (जो राज्य सरकार का ऋण होगा) की बकाया राशि अद्यतन भारित सूद सहित काटकर ही संबंधित पैक्सों के खाते में भुगतान सुनिश्चित हो। प्रबंध निदेशक, जिला सहकारी बैंक इसकी नियमित समीक्षा एवं इसके सफल संचालन के लिए जिम्मेवार होंगे।

उपरोक्त भुगतान व्यवस्था में यह विशेष ध्यान रखना है कि अधिप्राप्ति कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से जिला सहकारी बैंक स्तर पर पैक्सों को उपलब्ध होने वाली आवश्यक कार्यशील पूंजी का ऋण के रूप में पूर्णतः चक्रीय परिचालन व्यवस्था अन्तर्गत उपयोग किया जाना है।

अत यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार की कार्यशील पूँजी ऋण से पैक्सों द्वारा कृषकों को तत्काल भुगतान कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जा सके। इस स्थिति में राज्य खाद्य निगम द्वारा भुगतान व्यवस्था में विलम्ब (अधिकतम सात दिनों में भुगतान अवश्य हो जानी चाहिए) नहीं हो अन्यथा पैक्सों द्वारा उक्त ऋण का समुचित उपयोग नहीं हो सकेगा। साथ ही इस पर अनावश्यक सूद राशि भी भारित होगी।

उपरोक्त व्यवस्था आशय यह है कि पैक्सों द्वारा राज्य खाद्य निगम के माध्यम से उन्हें अधिकतम सात दिनों के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त हो जाये।

राज्य के पाँच जिलों यथा– छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा में जिला सहकारी बैंक कार्यरत नहीं है।

परन्तु छपरा एवं दरभंगा जिला में राज्य सहकारी बैंक की शाखा कार्यरत है। अतः इन दोनों जिलों में पैक्सों को अधिप्राप्ति के बाद राज्य खाद्य निगम से प्राप्त होने वाली भुगतान व्यवस्था के लिए उपरोक्त वर्णित भुगतान व्यवस्था राज्य सहकारी बैंक की शाखा के माध्यम से संचालित किया जाना है।

शेष तीन जिले यथा– मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिले में राज्य सहकारी बैंक के स्तर से विस्तारित शाखा (Extension Counter) अथवा अन्य शाखा से सम्बद्ध कर उपरोक्त भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इन तीन जिलों में विकल्प के रूप में सभी संबंधित ऋण संचालन एवं भुगतान व्यवस्था राज्य सहकारी बैंक ग्रामीण बैंक की शाखाओं के माध्यम से भी करने का विकल्प के रूप में व्यवस्था कर सकेगा।

इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंक से सम्पर्क कर इसका समाधान शीघ्र कर ली जानी है।

उद्देश्य यह है कि पैक्सों द्वारा आपूर्ति की गई धान की मात्रा का भुगतान अधिकतम सात दिनों के अन्दर अवश्य हो जानी चाहिए।

11. <u>पैक्सों के राईस मिल का उपयोग</u> – जिला स्तर पर पैक्सों द्वारा स्थापित राईस मिल का टैगिंग, राज्य खाद्य निगम के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य करने वाले पैक्सों के साथ निश्चित रूप से करते हुए उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इन मिलों का उपयोग पैक्सों के द्वारा अधिप्राप्ति की गई धान के मिलिंग के लिए ही की जानी है।

12. <u>निदेशन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण</u>– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी कृपया अपने स्तर से यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे कि अधिप्राप्ति कार्य के अतर्गत सभी सम्बन्धित विभाग/एजेंसी अपनी जिम्मेवारी के प्रति पूर्ण गंभीरता से इसका निर्वहन करेंगे । इसके लिए सहकारिता विभागीय पदाधिकारियों/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों के सम्बन्धित पदाधिकारियों का नियमित कार्य प्रगति की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं निदेशन अपने स्तर से अवश्य की जाय । मेरा अनुरोध होगा कि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त अपने मासिक बैठकों में इस विषय की समीक्षा अवश्य करें ।

अधिप्राप्ति कार्य के सम्पूर्ण प्रबंधकीय व्यवस्था में जिला प्रशासन स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी (सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं अन्य सभी विभाग) की जिला स्तरीय क्षमता के अनुरूप जवाबदेही सहित प्रतिनियुक्ति आदेश अवश्य निर्गत कर दी जाय ।

सहकारिता विभाग द्वारा अधिप्राप्ति कार्य को पूर्ण गुणवत्तापूर्वक एवं पारदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि इस कार्य का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की जाय । इसके लिए

जिला / अनुमंडल / प्रखंड / पंचायत स्तरीय सभी पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उनकी जिम्मेवारी तय कर दी जाय ।

प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक प्रत्येक माह के अपने भ्रमण कार्यक्रम में अपने कार्य क्षेत्र अन्तर्गत सभी जिला एवं अनुमण्डल औसत चार–पाँच का निश्चित रूप से भ्रमण करेंगे।

प्रबंध निदेशक एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे जिलास्तरीय सभी वित्तीय व्यवस्था एवं प्रशासनिक नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाकर इस कार्यक्रम को सफल बनायेंगे।

इस प्रयोजन हेतु जिला स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के लिए जिला पदाधिकारी बिस्कोमान के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति कर अपने स्तर से उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करेंगे तथा इनकी सेवा राज्य खाद्य निगम / सहकारिता विभाग / जिला सहकारी बैंक में आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. <u>दैनिक / साप्ताहिक प्रतिवेदन आधारित अनुश्रवण</u> :– इस वर्ष धान अधिप्राप्ति कार्य का व्यापक रूप से प्रभावकारी संचालन के लिए यह आवश्यक है कि इसे सम्पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्वक बनाया जाये। इसके लिए SMS एवं ई–मेल आधारित प्रतिवेदन व्यवस्था का उपयोग आवश्यक रूप से किये जाने के सम्बन्ध में वांछित व्यवस्था की गई है।

इस कार्यालय के पत्रांक 5840 दिनांक 02-12-11 द्वारा सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ का ई–मेल आई.डी. या एकाउंट खोलकर आवश्यक संचालन हेतु उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय का यह दायित्व होगा कि वे इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र–I में दैनिक प्रतिवेदन संकलित कर प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 04:00 बजे तक नियमित रूप से मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष के फैक्स / ई–मेल आई.डी. पर उपलब्ध करा दें।

जिला सहकारिता पदाधिकारी स्तर से प्रपत्र- II में विस्तृत साप्ताहिक प्रतिवेदन, प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

जिला स्तर पर उत्पन्न किसी भी कठिनाई होने पर संबंधित प्रमंडल के प्रभारी पदाधिकारियों से सम्पर्क कर इसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित कर लिया जाये। (संबंधित आदेश ज्ञापांक 5959 दिनांक 08.12-11 की छाया प्रति संलग्न)

उपरोक्त विहित प्रपत्रों के अनुरूप जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रखण्ड / अनुमण्डल स्तर से प्रतिवेदन प्राप्ति का प्रपत्र सृजित कर प्रतिवेदन का संकलन करेंगे।

पैक्स / प्रखण्ड स्तर पर सभी संबंधित को यह प्रेरित किया जाये कि सभी दैनिक प्रतिवेदन प्रेषण में SMS एवं ई–मेल व्यवस्था (वसुधा केन्द्र का उपयोग) भी किया जाय।

इस प्रयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर इसे दूरभाष एवं फैक्स सुविधा से आवश्यक रूप से सम्बद्ध किया जाये। इसके लिए वांछित व्यय हेतु आदेश संबंधित जिला सहकारी बैंकों को दे दी गई है कि वे अपने स्तर से तत्सम्बन्धी फैक्स एवं दूरभाष व्यवस्था तत्काल उपलब्ध करा दें।

14 <u>प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण</u> :– प्रखंड / पंचायत / ग्राम स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावकारी लाभ की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करायी जाए । इसके लिए ग्राम हाट

बाजार / सार्वजनिक स्थल / स्थानीय समाचार पत्र, रेडियो एवं सभी अन्य विज्ञापन तख्ता / बैनर द्वारा प्रचार प्रसार की व्यापक कार्यक्रम चलाई जाय। साथ ही इस कार्य के एक अति आवश्यक उद्देश्य अंतर्गत सभी सम्बन्धित पदाधिकारी / कर्मचारी का 1 से 2 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रमंडल अथवा अनुमंडल स्तर पर अवश्य करा दी जाय।

सहकारिता विभाग के सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ / तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी अधिप्राप्ति कार्य के दैनिक प्रगति प्रतिवेदन से राज्य सहकारी बैंक तथा विभाग / खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग को मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसके लिए निम्नलिखित दूरभाष / फैक्स / तथा ई-मेल का उपयोग की जाय—

मुख्यालय नियंत्रण कक्ष —

मोबाईल संख्या	—	9473191460
दूरभाष संख्या	—	0612 – 2230514
फैक्स संख्या	—	0612 – 2200693
ई-मेल	—	rcsbihar@rediffmail.com
		secretarycoop@rediffmail.com

अतः अनुरोध है कि सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता निदेश अंतर्गत उक्त कार्य के लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/- 08/12/2011
(एस.के. नेगी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5981 / पटना, दिनांक 7-12-11

क्र/नि.-धान (अधि.) – 21/11

प्रतिलिपि: सभी प्रशासक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक / सभी अध्यक्ष, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ / एवं सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, भारतीय खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 08/12/2011
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5981 / पटना, दिनांक 7-12-11

प्रतिलिपि: प्रशासक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि0 पटना / सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / प्रशासक, बिस्कोमान, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, एक्जीबिशन रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 08/12/2011
सरकार के प्रधान सचिव

R:\W.O.\Dan\Paddy Procurement 2011-12 Letter

ज्ञापांक 5781 /पटना, दिनांक 7-12-11

प्रतिलिपि सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5781 /पटना, दिनांक 7-12-11

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5781 /पटना, दिनांक 7-12-11

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, सहकारिता के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5781 /पटना, दिनांक 7-12-11

प्रतिलिपि सभी जिला के प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5781 /पटना, दिनांक 7-12-11

प्रतिलिपि उपरोक्त वर्णित सभी पदाधिकारियों को उनके ई-मेल आई.डी. / तथा फैक्स द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव